

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्मल स्थित चन्दौसी।

आदेश सं०...२०...../2021 दिनांकित 01.12.2021

आदेश

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त वादकारियों के हित को दृष्टिगत रखते हुये कार्य वितरण की निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है—

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्मल स्थित चन्दौसी।

- 1— थाना कोतवाली चन्दौसी, बहजोई एवं हजरतनगर गढ़ी से संबंधित पुलिस चालानी का सम्पूर्ण कार्य होगा एवं थाना सम्मल से संबंधित सत्र परीक्षणीय मामलों का बेल एवं रिमाण्ड, पुलिस चालानी आरोपपत्र दायरा, कमिटल आदि का सम्पूर्ण कार्य होगा।
- 2— जनपद सम्मल स्थित समस्त थानों का धारा 302, 304बी, 304 एवं 396 भा०दं०सं० से संबंधित बेल एवं रिमाण्ड, पुलिस चालानी आरोपपत्र दायरा, कमिटल आदि का सम्पूर्ण कार्य होगा।
- 3— जिला सम्मल से संबंधित बाल श्रम अधिनियम व अन्य विशेष अधिनियम के अर्न्तगत संस्थित होने वाले अपराधिक वाद तथा सम्मल जिले के अर्न्तगत समस्त आर.टी.ओ. चालानी व दायरा का कार्य होगा।
- 4— जिला सम्मल में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विविध फौजदारी प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3) दं०प्र०सं० की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा।
- 5— जिला सम्मल में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध संस्थित होने वाले परिवादो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा।

न्यायालय सिविल जज(सी०डि०)/ए०सी०जे०एम०, सम्मल स्थित चन्दौसी।

- 1— थाना जी०आर०पी०, चन्दौसी का सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार एवं थाना महिला थाना के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों से संबंधित बेल एवं रिमाण्ड, आरोपपत्र दायरा, कमिटल आदि एवं धारा 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थनापत्रों की सुनवाई एवं दायरा का सम्पूर्ण कार्य होगा।
- 2— थाना चन्दौसी, बनियाठेर, बहजोई एवं कुढ़फतेहगढ़ व हजरतनगर गढ़ी से संबंधित धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम से संबंधित परिवाद का दायरा एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा।
- 3— थाना बहजोई एवं हजरतनगर गढ़ी से संबंधित परिवाद का दायरा एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा।

न्यायालय सिविल जज(सी०डि०)/ए०सी०जे०एम०, चन्दौसी, सम्मल स्थित चन्दौसी।

- 1— थाना बनियाठेर व कैला देवी से संबंधित समस्त पुलिस चालानी, परिवाद, प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3) सीआर.पी.सी., बेल एवं रिमाण्ड, आरोपपत्र दायरा, कमिटल का सम्पूर्ण कार्य होगा।

उपरोक्त वर्णित व्यवस्था में यदि किसी विशेष अधिनियम के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई आदेश पारित न हो, तो ऐसे मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्मल स्थित चन्दौसी को होगा।

इस आदेश का प्रभाव माननीय उच्च न्यायालय या किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी विशेष मामलों की सुनवाई के संबंध में पारित आदेश पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कमल दीप
01.12.21

(कमल दीप),

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सम्मल स्थान चन्दौसी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित-

- 1-माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय सम्मल स्थित चन्दौसी।
- 2-माननीय जिला मजिस्ट्रेट, सम्मल।
- 3- पुलिस अधीक्षक, सम्मल।
- 4- सिविल जज(सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0, सम्मल स्थित चन्दौसी।
- 5- सिविल जज(सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0, चन्दौसी, सम्मल स्थित चन्दौसी।
- 6- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौसी, सम्मल स्थित चन्दौसी।
- 7- सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0, सम्मल स्थित चन्दौसी।
- 8- सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0, सम्मल।
- 9- सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0, कोर्ट नं01 सम्मल।
- 10- सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0, गुन्नौर।
- 11-वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, सम्मल।
- 12-समस्त बार संघ, जनपद सम्मल स्थित चन्दौसी।
- 13-बार एसोसिएशन, बाह्य न्यायालय, सम्मल।
- 14-बार एसोसिएशन, बाह्य न्यायालय गुन्नौर।

कमल दीप
01.12.21

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सम्मल स्थित चन्दौसी।

Seen
B1
02/12/2021
District Judge
Bambhal at
Chandauli